



बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

बिहार- झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस परिचालन परमिट हेतु आवेदकों के लिए  
आवश्यक सूचना ।

पत्रांक- 4/STA.-P3-232/2012 (पार्ट) परि०- 563<sup>०</sup> दिनांक- 13.11.2017

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक-  
14.11.2017 को 12.30 बजे अपराह्न में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष-सह-सदस्य,  
राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में  
राज्य परिवहन प्राधिकार की आयोजित होने वाली बैठक को अपरिहार्य कारणवश अगले  
ओदश तक स्थगित किया जाता है।

उपर्युक्त बैठक आहूत करने की अगली तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी।

स्थगित बैठक की सूचना विभागीय वेवसाईट <http://transport.bih.nic.in>  
पर भी अपलोड की जा चुकी है ।

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना ।